न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थितिः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 1540/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्याः– 1540/2026
CNR No. UPHP010050842026

मु०अ०सं०– 09/2026
अर्न्तगत धारा– 305(ए) भा०न्या०सं०
थाना– पिलखुवा, जिला हापुड़।

महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र, निवासी सिल्वर सिटी, पुस्ता चौकी के पीछे बाला जी मन्दिर, थाना ट्रोनिका सिटी, जिला गाजियाबाद।

––बनाम––

सरकार।

दिनांकः– 15.07.2026

अभियुक्त **महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र** की ओर से उक्त केस में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि "प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त मौके से नहीं पकड़ा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज उपरोक्त मुकदमा अज्ञात में दर्ज है, प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मुकदमा संख्या मे नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई गलत माल या हथियार बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र एवं स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र दीलिप को थाना हाफिजपुर पुलिस ने दिनांक 18.03.2026 को पकड़ लिया था जिसे छुड़ाने के लिये प्रार्थी/अभियुक्त थाना हाफिजपुर आया तो थाना हाफिजपुर पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त का झूठा चालान मुकदमा अपराध सं०– 42/2026 धारा– 305 बी०एन०एस० एवं मु०अ०सं०– 08/2026 धारा– 305(क) बी०एन०एस० में कर दिया तथा प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र दीलिप का चालान दिनांक 19.03.2026 को धारा– 170, 126, 135 बी०एन०एस०एस० में कर दिया। उक्त केस में प्रार्थी/अभियुक्त को दौराने केस भागने एवं गवाहान को तोड़ने का अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मान्य न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है।"

इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्त पर अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है "दिनांक 30.12.2025 को समय लगभग 07.30 PM बजे मैं अपने घर से गाजियाबाद गया था। अगले दिन दिनांक 31.12.2025 को समय लगभग 08.00 बजे PM पर वापस आया तो मेरे घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली है। घर का सामान इधर उधर पड़ा था और बक्शे में रखे सोने–चांदी के आभूषण व रूपए नगद चोरी करके ले गये हैं। चोरी की गयी सामान की सूची अलग से दूंगा। अतः महोदय से निवेदन है कि अज्ञात चोरों के विरूद्ध कानूनी कारवाही करने की कृपा करें।"

मेरे द्वारा अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.07.24 14:58:27 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त महेन्द्र पर वादी मुकदमा के घर से बक्शे में रखे सोने–चांदी के आभूषण व रूपए नगद चोरी करने का आरोप है, परन्तु अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण सात वर्ष से अनधिक कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विधि व्यवस्था **Special Leave Petition (Crl.) No. 5191 of 2021 Satender Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation & Another** का भी अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 18.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

इस मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों में, गुणदोष पर बिना कोई मत दिये प्रार्थी/अभियुक्त/अभियुक्त को जमानत पर सशर्त मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अस्तु प्रार्थी/अभियुक्त/अभियुक्त **महेन्द्र पुत्र राजेन्द्र** की जमानत उपरोक्त मामले में स्वीकार की जाती है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त/अभियुक्त द्वारा 30,000/– रुपए का एक जमानती तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. दौरान विचारण प्रार्थी/अभियुक्त/अभियुक्त इस प्रकार के मामलों में लिप्त नहीं रहेगा अन्यथा शिकायत मिलने पर किसी भी समय जमानत निरस्त की जा सकेगी।
2. साक्षियों को दौरान विवेचना/विचारण डराने धमकाने की शिकायत मिलने पर बाद सुनवाई किसी भी समय जमानत निरस्त की जा सकेगी।
3. अभियुक्त मामले के विवेचना/विचारण में समुचित सहयोग प्रदान करेगा और किसी प्रकार का विलम्ब कारित नहीं करेगा।

दिनांकः– 15.07.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।